न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा, जाति- ब्राह्मण,
निवासी- पंचायत भवन के पीछे, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता)
फर्म:- श्रीजी पेपा मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बडोदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 02/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री दामोदर लाल शर्मा, प्रतिवादी स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 14 फरवरी, 2020

1. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 22.1.2019 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म श्रीजी मार्ट, ए. टी.एम. बैंक ऑफ बडोदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पँहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा, उम्र 61 वर्ष, जाति- ब्राह्मण, निवासी- पंचायत भवन के पीछे, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही व उनकी फर्म श्रीजी भण्डार मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बडोदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु वनस्पति (जायका ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में उपलब्ध की रेक में बिक्री हेतु मौजूद वनस्पति (जायका ब्राण्ड) के 12x1 लीटर पैक्ड पाउच में से 4x1लीटर पैक्ड पाउच जांच के लिये खरीद एवं उसकी कीमत रुपये 353/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

....पेज दो पर

मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली [illegible] दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, [illegible] [illegible] का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा बनस्पति (जायका ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकड पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं खरीद शुदा बनस्पति (जायका ब्राण्ड) को गत्ते के डिब्बों में अलग अलग रखकर टेप चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-877 को नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर [illegible] [illegible] हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना [illegible] को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता को द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियों को लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.1.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा [illegible] दौलतराम, साइकिएट्रिक के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 22.1.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) की जांच, रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का नमूना S-877 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति विक्रेता दामोदर लाल शर्मा एवं निर्माता फर्म को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो अपील आवेदन प्रारुप 9 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य

......शेष पेज 3

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत कर [illegible] एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण से संबंधित पूर्ण कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अधिकृत अधिकारी को पेश कर अभियोजन प्राप्त की गई। प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा-51 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रतिवादी अभियुक्त ने इस न्यायालय में दिनांक 12.2.2020 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह अंकित किया है कि दिनांक 22.1.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया [illegible] रिपोर्ट के अनुसार Sub-standard पाया गया [illegible] तहत प्राप्त हुआ था, इसका बिल उपलब्ध नहीं है। मैंने नया नया काम शुरू किया है तथा मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, भविष्य में बिल सहित माल [illegible] मेरी प्रथम गलती मानकर माफ करावें। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ [illegible] गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी दामोदर लाल शर्मा द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 12.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना [illegible] प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसने खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) में कोई मिलावट नहीं की है, यह खाद्य पदार्थ [illegible] इस खाद्य पदार्थ का बिल मेरे पास नहीं है। यह मेरी प्रथम गलती है [illegible] बिल से माल खरीद कर विक्रय करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना [illegible] समाप्त करावें।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.1.2019 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म श्रीजी मेघा मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बडौदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म श्रीजी मेघा मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बडौदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी-

पंचायत भवन के पीछे, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म श्रीजी मेघा मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बडोदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) के असमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाहं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही तथा श्री [illegible] पुत्र श्री शंकरलाल मेघवाल, रामदेव मंदिर के पास, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता दामोदर [illegible] में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। उक्त फर्म श्रीजी मेघा मार्ट, [illegible] ऑफ बडोदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में [illegible] आमजन के उपयोग हेतु बिक्री के लिये रखे हुये खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक लीटर) में से खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक एक लीटर) जांच के लिये खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 353/- (अक्षरे राशि रुपये तीन सौ तरेपन मात्र) विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा एवं उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे [illegible] डिब्बे दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड [illegible] क्रमांक S-877 दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल [illegible] शर्मा एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा वनस्पति (जायका ब्राण्ड) के चारों नमूना [illegible] पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को गत्ते के डिब्बों में अलग अलग रखकर टेप से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-877 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता दामोदर लाल शर्मा व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ [illegible] फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि [illegible]

[illegible] पेज पर

तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म श्रीजी मेघा मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा से खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) को नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं [illegible] नमूने [illegible] गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भाग [illegible] एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग [illegible] किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 [illegible] से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी से सिलबंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री बालन राम, माइक्रोब्रहृक के द्वारा दिनांक 23.1.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.1.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-877 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L S./32/Act/2019/86 दिनांक 31.1.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] श्रीजी मेघा मार्ट, ए.टी.एम. बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सिरोही रोड, पिण्डवाडा, [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता दामोदर लाल शर्मा से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) [illegible] पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि प्रतिवादी दामोदर लाल शर्मा ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) की खरीद का बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही इसे न्यायालय में बिल प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी दामोदर लाल शर्मा ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन [illegible] उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक [illegible] /कार्मिक/[illegible] दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री [illegible] ब्राह्मण, निवासी- पंचायत भवन के पीछे, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्रीजी मेघा मार्ट ए.टी.एम. बैंक ऑफ बड़ौदा के

....पत्र क्र: प६

ग्राम, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- पंचायत भवन के पास [illegible] तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0..जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:16:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: